

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

DATED: ALLAHABAD: JUNE 24, 2020

No. 1190 /Admin. (Services)/2020

Pursuant to U.P. Government Notification/Appointment No. **199/II-4-2020-32(1)/2016 dated 26.02.2020**, Sri **Siddharth Chaturvedi**, candidate of Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge (Junior Division), Barabanki.

No. 1191 /Admin. (Services)/2020

Pursuant to U.P. Government Notification/Appointment No. **199/II-4-2020-32(1)/2016 dated 26.02.2020**, Smt. **Farheen Khan**, candidate of Civil Judge, Junior Division to be 2nd Civil Judge (Junior Division), Hapur.

BY ORDER OF THE COURT

sd/-

**(AJAI KUMAR SRIVASTAVA-I)
REGISTRAR GENERAL**

No. 232/Admin. (Services)/2020: Allahabad: Dated: June 24, 2020

Copy forwarded for information & necessary action to:

1. The Executive Chairman, U.P. State Legal Services Authority, Third Floor, Jawahar Bhawan Annexe, Lucknow-226001.
2. Pramukh Sachiv, Niyukti, U.P. Shasan, Lucknow.
3. Pramukh Sachiv, Nyay Evam Vidhiparamarshi, Uttar Pradesh Shasan, Lucknow.
4. The Director, Institute of Judicial Training & Research, Vineet Khand, Gomti Nagar, U.P. Lucknow with the request to impart Induction Training to aforesaid newly appointed Civil Judge, Junior Division in their wisdom. (Information available on E-mail).
5. The Senior Registrar, High Court, Lucknow Bench, Lucknow. (Information available on E-mail).
6. The Additional Director, Treasury, Camp Office, First Floor, New Treasury Building, Kutchery Road, Allahabad.
7. All the District & Sessions Judges subordinate to High Court of Judicature at Allahabad alongwith photocopy of U.P. Government Appointment/Notification No. 199/II-4-2020-32(1)/2016 dated 26.02.2020 (Information available on E-mail).

The concerned District & Sessions Judges are directed to permit the newly appointed candidates Civil Judge, Junior Division, to take over charge on the post.

The certificate of taking over charge by the candidate Civil Judge Junior Division be sent to the Assistant Registrar (Services), High Court, Allahabad.

The concerned District & Sessions Judges are also directed to make arrangement for field training in the judgeship for newly recruited/appointed candidates of Civil Judge, Junior Division as per instruction contained in letter No. 421/Admin(Services)/2019 dated 28.08.2019

It is to add that local arrangement shall be made by you in pursuance to the circular letter No.27/D.R.(S)/2000 dated 21.6.2000.

8. All newly selected candidate Civil Judge, Junior Division

1.	Sri Siddharth Chaturvedi S/o Sri Rajiv Chaturvedi, R/o 42/86, Brij Vimla Sadan, Saketpalli, Peerpur Square, Narhi, Lucknow - 226001
2.	Smt. Farheen Khan D/o Sri Mohd Muzammil Khan, R/o A-225, Era Gardenia Estate, Near Saraswati Lok, Meerut, U.P. - 250002

You shall proceed to take over charge of your place of posting immediately. Court's Notifications have been sent to you by speed/registered post and it is also available on official website of Hon'ble Court i.e. www.allahabadhighcourt.in.

Newly appointed candidate Civil Judge, Junior Division should note that your appointment to the post of Civil Judge, Junior Division in U.P. Nyayik Sewa is purely temporary and until you are absorbed and appointed as permanent Civil Judge, Junior Division. You shall be subjected to general condition of services applicable to temporary Government Servant Rules and contained in Government Notification No. 20/I/74-Niyukti-3, dated June 11, 1975 and also under the condition laid down in U.P. Government Notification/Appointment No. 199/II-4-2020-32(1)/2016 dated 26.02.2020 .

9. The Registrar (Judicial) (Budget), High Court, Allahabad.
10. The Registrar (Judicial) (Confidential), High Court, Allahabad.
11. The Registrar (Judicial) (Litigation), High Court, Allahabad.
12. The Joint Registrar (Judicial) (Computer)/ In charge Computer Centre, High Court, Allahabad.
13. The Assistant Registrar (Admin.A-3) Section, High Court, Allahabad.
14. The Section Officer (Admin. H) Section, High Court, Allahabad
15. The Accountant General, U.P., Allahabad.
16. The Director, Printing & Stationary, U.P. Allahabad for publication of the notification in the next issue of the Gazette.
17. P.S. to Hon'ble Judges, with the request to place this notification before the Hon'ble Judges sitting at Allahabad & Lucknow for their Lordship's kind perusal (Information available on E-mail).

BY ORDER OF THE COURT.

**Sd/-
(ATUL SRIVASTAVA)
REGISTRAR (JUDICIAL) (SERVICES)**

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-4
संख्या-199/दो-4-2020-32(1)/2016
लखनऊ: दिनांक 26 फरवरी, 2020

विज्ञप्ति/नियुक्ति

रिट पिटीशन संख्या-4204/2019 मनीष कुमार सिंह बनाम स्टेट आफ यू0पी0 02 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-10-2019 के अनुपालन में सचिव, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या-116/09/ई-3/2016-17, दिनांक 05-12-2019 द्वारा प्राप्त संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा, 2016 की प्रतीक्षा सूची से चयनित/संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थियों को वेतनमान रूपये-27700-770-35090-920-40450-1080-44770 में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति एतद्वारा प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी एवं अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम	वर्तमान पता
1-	039185	श्री सिद्धार्थ चतुर्वेदी पुत्र श्री राजीव चतुर्वेदी	42/86, बृज-विमला सदन, साकेत पल्ली, पीरपुरस्क्वायर, नरही, लखनऊ-226001
2-	015114	सुश्री फरहीन खान पुत्री मो0 मुजम्मिल खान	ए-225, एरा गार्डनिया इस्टेट निकट सरस्वती लोक, मेरठ, उ0प्र0-250002

2- उपरोक्त अभ्यर्थियों की तैनाती के आदेश अलग से मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत किये जायेंगे तथा पारस्परिक ज्येष्ठता नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

मुकुल सिंह
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 199(1)/दो-4-2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- (2) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सम्बन्धित अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु भरे गये मूल आवेदन प्रपत्र (संलग्नकों सहित) एवं चिकित्सा परिषद की मेडिकल रिपोर्ट्स मूलरूप में संलग्न कर इस मन्तव्य के साथ प्रेषित कि उक्त अभ्यर्थियों में से यदि कोई अभ्यर्थी मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में बिना किसी समुचित कारणों के अपना योगदान सेवा में प्रस्तुत नहीं करता है, तो
- (5) उम स्थिति से शासन को अविलम्ब अवगत कराया जाय। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों की तैनाती के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय के आदेशों की प्रति तथा अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि समय आदि की सूचना भी शासन को कृपया तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें। (विशेष बाहक द्वारा)
- (3) अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0, शिविर कार्यालय, कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
- (4) सचिव, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को उनके पत्र संख्या-116/09/ई-3/2016-17, दिनांक 05-12-2019 के सन्दर्भ में।

- (5) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र०, प्रयागराज को उ०प्र० गजट को आगामी हिन्दी एवं उर्दू अंक में प्रकाशनार्थ।
- (6) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ०प्र० शासन।
- (7) निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उ०प्र०, गोमतीनगर, लखनऊ।
- (8) सम्बन्धित अभ्यर्थियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उनकी यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। अभ्यर्थी अपनी तैनाती के सम्बन्ध में महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत किये जाने वाले तैनाती आदेशों के अनुसार निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपने पद का कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें। यदि बिना समुचित कारणों के वह मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपना कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं, तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा ऐसी स्थिति में इस सेवा में नियुक्ति के लिए उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है तो उसकी लिखित सूचना महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को तत्काल प्रेषित करें। उन्हें यह भी सूचित किया जाता है कि सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर उनकी नियुक्ति अस्थायी रूप से इस प्रतिबन्ध के साथ की जा रही है कि उन्हें निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उ०प्र०, गोमतीनगर, लखनऊ के निर्देश प्राप्त होने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। (स्पीड पोस्ट से)

उक्त अभ्यर्थीगण जब तक सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं हो जाते हैं तब तक वह अस्थायी कर्मचारियों पर लागू अधिसूचना संख्या-20/1/74, नियुक्ति-3, दिनांक 11-6-1975 में दी गयी शर्तों के अधीन रहेंगे। अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता, अनुमन्य नहीं होगा।

- 9- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया वस्तुस्थिति से मा० उच्च न्यायालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
- (10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(अरविन्द मोहन चित्रांशी)
विशेष सचिव।